कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 805 /34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/18 दिनांकः– 16 /04/2018

–:कार्यालय ज्ञापः–

शासकीय पत्रसंख्या–270/।।।(।)/18–86(अधि0)/2007 दिनांक–26.02.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–672/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2018 दिनांक–31.03.2018 द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों का चिन्हीकरण करते हुये सुगम/दुर्गम स्थलों की सूची जारी की गयी है एवं इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या–681/34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2018 दिनांक–31.03.2018 द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर स्थानान्तरण समिति का गठन किया गया है,। उक्त क्रम में ही इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या– 803/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/18 दिनांक 15.04.2018 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों की सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–1वर्ष 2018) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत धारा–6 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होगें:–

1. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
3. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

अधिनियम की धारा–12 के अनुसार पात्र कार्मिक, अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के विकल्प दिनांक 20.04.2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–13 एवं 14 के आधार पर कार्मिक स्थानान्तरण हेतु किये गये अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिये विकल्प के साथ आवेदन पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिनांक 30.04.2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अधिनियम में दिये गये नियमानुसार विकल्प पत्र/अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/–
(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
4. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
7. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर–प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. **अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस कार्यालय ज्ञाप को अधिनियम की प्रति सहित आज दिनांक–16.04.2018 को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।**
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन–ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
16/04/18

क्रम संख्या–10 (ग) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

ASK(P)

(संध्या रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई0
पौष 15, 1939 शक सम्वत्

DS
5/1/18
(सुनीलश्री पंवार)
अपर सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017
देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017'** पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा, उच्च न्यायालय के नियान्त्राणाधीन समस्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए लागू होगी और इसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निगम, परिषद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में–

(क) **'संविधान'** से **'भारत का संविधान'** अभिप्रेत है;

(ख) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) **'राज्यपाल'** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) **'गम्भीर रोगी'** से गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिवार (जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं माता–पिता)